आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
3/4/2023	आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नागत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में द0प्र0सं0 की धारा 145 के अंतर्गत वाद प्रारंभ किया गया। उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी तथा थाना प्रभारी, बगोदर को जाँच हेतु निर्देश दिया गया। अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, बगोदर का जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया, जिससे प्रतीत होता है कि विवादित भूमि पर दखल, हक-हकीयत को लेकर लड़ाई-झगड़ा की स्थिति बनी हुई है। द0प्र0सं0 की धारा145 के अंतर्गत दखल-कब्ज के निर्धारण हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत किया गया। विवादित भूमि का विवरण :- खाता सं0-47, प्लॉट सं0-5055, रकवा-$\frac{5}{6}$ डी0, चौहद्दीः उ0-धुजन मियाँ, द0-नाला, पू0-शिवचरण राम वगै0 का घर, प0-गफूर मियां एवं हनीफ मियां का खाली प्लॉट। उक्त विवादित भूमि को अंचल बगोदर के द्वारा मापी कराई गई। प्रथम पक्ष को मौजा-बेको, थाना नं0-88, खाता सं0-47, प्लॉट सं0-5055, रकवा-$\frac{5}{6}$ डी0 भूमि द्वितीय पक्ष से खरीदगी केवाला से हासिल है जो कि रैयती खाते की भूमि है। प्रथम पक्ष का कहना है कि उसे $\frac{5}{6}$ डी0 जमीन द्वितीय पक्ष द्वारा केवाला सं0-8939/1995 द्वारा दिया गया है। सोमरी खातुन के नाम से लगान रसीद 2014-15 तक निर्गत है तथा पंजी-II के पृष्ठ सं0-26, भोल्युम सं0-29 पर दर्ज है।	

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	उक्त अभिकथन की पुष्टि हेतु प्रथम पक्ष के द्वारा कुल 5 गवाह प्रस्तुत किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में केवाला की छायाप्रति तथा राजस्व रसीद की छाया प्रति दाखिल किया गया है। गवाह संख्या–01 के अनुसार सोमरी खातुन, जो प्रथम पक्ष की माता है यह जमीन द्वितीय पक्ष से केवाला के द्वारा खरीदी है। प्रथम पक्ष का दखल–कब्जा तथा मालगुजारी रसीद निर्गत है। 334 वर्ग कडी जमीन द्वितीय पक्ष कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। गवाह संख्या–02 के अनुसार 1993 में सोमरी खातुन केवाला से जमीन को खरीदी हैं। गफुर मियां $2\frac{1}{2}$ डी0 जमीन खरीदे तथा 334 वर्ग कडी जमीन प्रथम पक्ष को कम देना चाहते हैं। गवाह संख्या–03 के अनुसार उक्त जमीन पर केवाला से पहले द्वितीय पक्ष का कब्जा है। यह उनका पैत्रृक जमीन है जिसका बटवारा भी हो चुका है। गवाह सं0–04 के अनुसार, मैं गवाह सं0–01, 02 तथा 03 से सहमत हूँ। 334 वर्ग कडी जमीन का केवाला रसीद देखा हूँ जो प्रथम पक्ष के माता सोमरी खातुन के नाम पर है तथा दखल–कब्जा में है। गवाह सं0–05 के अनुसार – केवाला से खरीदा गया जमीन, वर्तमान में प्रथम पक्ष के कब्जा में है जिससे द्वितीय पक्ष बेदखल करने की कोशिश की जा रही है। मेरे द्वारा खाता सं0–47,	

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	प्लॉट सं0-5055, रकवा-$2\frac{1}{2}$ डी0 मध्ये 833 वर्ग कडी पर काबिज हूँ तथा दखल-कब्जा है। द्वितीय पक्ष की ओर से कुल तीन गवाह प्रस्तुत किये गये हैं। गवाह सं0-01 के अनुसार सोमरी खातुन जमीन बजरिये केवाला से 833 वर्ग कडी खरीदी है। प्लॉट सं0-5055 में 500 वर्ग कडी, शेष जमीन खाता 126, प्लॉट नं0-5051 में दिया गया है। प्लॉट सं0-5051 कुल रकवा-13 डी0 दोनों पक्षों का संयुक्त हिस्सेदारी है जो दोनों पक्ष के पूर्वज से ही बटवारा कायम-काबिज है। प्रतिपरीक्षण में कहा गया है कि वादगत भूमि पर प्रथम पक्ष की माता सोमरी खातुन का दखल-कब्जा है। **गवाह सं0-02** प्लॉट सं0-5051 जो 13 डी0 का प्लॉट है जिसमें गफुर मियाँ का भी हिस्सा है। द्वितीय पक्ष प्लॉट नं0-5055, विवादित भूमि का विक्रय किया गया है जो 833 वर्ग कडी है। सोमरी खातुन 500 वर्ग कड़ी मे काबिज है, शेष 333 वर्ग कड़ी प्लॉट सं0-5051 मे दिया गया है। ग्वाह सं0-3 के अनुसार जो स्वयं द्वितीय पक्ष हैं, कहना है कि प्लॉट सं0-5055 में 300 वर्ग कड़ी लिया हूँ जो भूमि मैं 5051 में 300 वर्ग कड़ी दिया हूँ। ये लेन-देन 20 वर्ष पूर्व में हुआ है। प्रतिपरीक्षण में यह बात कहते हैं कि सोमरी खातुन प्रथम पक्ष की माँ है, गफुर अंसारी एवं हनीफ अंसारी जो द्वितीय पक्ष है उनके द्वारा प्रथम पक्ष की माता सोमरी खातुन के पास खाता नं0-47, प्लॉट	

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	नं0-5055, रकवा-$2\frac{1}{2}$ डी0 मध्ये 833 वर्ग कड़ी जमीन बेचा गया है तथा सोमरी खातुन उक्त जमीन पर दखल-कब्जा दे दिया गया है तथा वर्तमान में भी दखल है। **गवाह सं0-03** इनके द्वारा प्रतिपरीक्षण में बतलाया गया कि इस वाद में मैं द्वितीय पक्ष का सदस्य हूँ। मैं वाद की भूमि को घुजन मियाँ की पत्नी सोमरी खातुन के पास बेच दिया, प्रथम पक्ष सहिदा खातुन, घुजन मियाँ एवं सोमरी खातुन की पुत्री है। केवाला बिक्री के पश्चात् उक्त जमीन पर घुजन मियाँ का दखल-कब्जा हो गया है। चूँकि प्रथम पक्ष केवाला क्रेता की पुत्री है, इस आधार पर प्रथम पक्ष वाद की जमीन पर दखल-कब्जा है। द0प्र0सं0 145 में दाखिल लिखित अभिकथन का अवलोकन किया। द्वितीय पक्ष के अनुसार, प्रथम पक्ष की माता सोमरी खातुन ने दिनांक-22.09.1995 ई0 को मौजा बेको, थाना-बगोदर, खाता सं0-47, प्लॉट-5055, रकवा-$2\frac{1}{2}$ डी0 मध्ये $\frac{5}{6}$ डी0 जमीन पर काबिज है। प्रथम पक्ष को 334 वर्ग कड़ी जमीन प्लॉट सं0-5051 में दिया गया है जो उनकी चाहरदिवारी में है। प्रथम पक्ष 6 माह से 334 वर्गकड़ी जमीन छोड़ने तथा पंचायत की बात मानने से ईनकार कर रहे हैं। प्रथम पक्ष के अनुसार केवाला सं0-8939 वर्ष 1993 के पश्चात् उक्त भूमि पर	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	दखलकार हैं तथा अंचल कार्यालय बगोदर में वर्ष 2004-05 में नामांतरण करा कर मालगुजारी रसीद प्राप्त कर रहे हैं। उपर्युक्त विवेचन से मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि उभय पक्ष के बीच भूमि के दखल-कब्जा को लेकर विवाद है। प्रथम पक्ष की माता सोमरी खातुन, मौजा-बेको, थाना नं०-88, खाता सं०-47, प्लॉट सं०-5055, रकवा-$\frac{5}{6}$ डी० भूमि खरीदी है जो अंचल कार्यालय के प्रतिवेदन से भी पता चलता है तथा अंचल अधिकारी के रिर्पोट से यह भी पता चलता है कि उक्त भूमि का रसीद प्रथम पक्ष के नाम से निर्गत है। द्वितीय पक्ष भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि यह भूमि प्रथम पक्षने खरीदी है जिसका रकवा$\frac{5}{6}$ डी० है। द्वितीय पक्ष 334 वर्ग कड़ी जमीन अन्य प्लॉट 5051में देने कि बात करते हैं जिसका साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। सभी गवाहो के प्रतिपरीक्षण से स्पष्ट है कि वाद की भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल-कब्जा कायम है, उपर्युक्त भूमि प्रथम पक्ष की माता सोमरी खातुन के द्वारा खरीदा गया है तथा प्रथम पक्ष के दखल-कब्जे में है। अतः द०प्र०सं० की धारा 145 के अंतर्गत, खाता सं०-47, प्लॉट-5055, रकवा-$\frac{5}{6}$ डी०, चौहद्दीः उ०-धुपन मियाँ, द०-नाला, पू०-शिव चरण राम वगै० का घर, प०-गफूर मियां एवं हनीफ मियां का खाली प्लॉट, की भूमि पर लोक परिशांति को कायम रखने हेतु प्रथम पक्ष का	

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	दखल-कब्जा सम्पुष्ट करता हूँ साथ यह भी आदेश देता हूँ कि प्रथम पक्ष को उक्त भूमि से तबतक बेदखल नहीं किया जाय जबतक किसी सक्षम न्यायालय से अन्यथा आदेश पारित न हो। वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं सत्यापित 3/04/23 3/04/23 अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया। अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया।	

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.05.02 13:01:52 +05:30
Location: 192.168.1.6